न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 62/2018

वादी :– बुधाराम जांगिड़ पुत्र श्री अणदाराम, जाति जांगिड़, निवासी ईग्यासनी तहसील डेगाना, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सरोजदेवी पत्नी श्री सोहनराम, जाति जाट, निवासी सिरसला, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
2. पन्ने खां पुत्र श्री अल्लादीन उर्फ अलाबी खां, जाति कायमखानी, निवासी माईदण्ड कलां, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
3. तहसीलदार, मेड़ता।
4. पटवारी हल्का, दत्ताणी।

दावा बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 24/12/19

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्री चन्दनसिंह राठौड़ ने दावा बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि मौजा माईदण्ड कलां की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 04 रकबा 3.02 हैक्टेयर भूमि मालू खां, छोटू खां, पन्ने खां, पिसरान अलाबी खां उर्फ अल्लादीन, जातियान कायमखानी, निवासीगण माईदण्ड कलां की खातेदारी का काश्त व कब्जासुद थी। खतौनी की नकल साथ में पेश है। उक्त खातेदारान के मध्य बंटवाड़ा होने पर खसरा नम्बर 04 रकबा 1.00 हैक्टेयर मालू खां के बंट में, खसरा नम्बर 112/4 रकबा 1.01 हैक्टेयर छोटू खां के बंट में, खसरा नम्बर 113/4 रकबा 1.01 हैक्टेयर पन्ने खां के बंट में रखा गया। तत्पश्चात

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 4 रकबा 1.00 हैक्टेयर की भूमि मालू खां ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के वादी को बेचान कर दी। बेचाननामा व कब्जा, काश्त के आधार पर वादी के हक में नामान्तरकरण स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी का अमल दरामद किया गया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 112/4 रकबा 1.01 हैक्टेयर की भूमि छोटू खां ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाचननामा के प्रतिवादीनी संख्या 1 को बेचान कर दी। बेचाननामा व कब्जा काश्त के आधार पर प्रतिवादीनी संख्या 1 के हक में नामान्तरकरण स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी का अमल दरामद किया गया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 4 रकबा 1.00 हैक्टेयर की भूमि वादी की खातेदारी का, खसरा नम्बर 112/4 रकबा 1.01 हैक्टेयर प्रतिवादीनी संख्या 1 की खातेदारी का व खसरा नम्बर 113/4 रकबा 1.01 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी का है। उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग दर्ज है। मगर राजस्व नक्शे में अलग–अलग तरमीम की हुई है। जिससे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादग्रस्त आराजी का मौके पर सहुलियत के अनुसार जुबानी बंटवाड़ा वक्त बेचान कर लिया, उक्त भूमि मौके पर एक ही चक में आयी हुई है। बंटवाड़ा अर्जीदावा के पैरा संख्या 4 में वर्णितानुसार है। उक्त वर्णित बंटानुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मौके पर काश्त व काबिज है तथा अलग–अलग सीवें व माठें कायम कर ली है। मगर विधिवत् बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स नही हुआ है। जिससे मुतनाजा खसरान का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने हेतु वाद पेश है। खातेदारी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम अलग–अलग दर्ज है, मगर नक्शा में तरमीम नही होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मुतनाजा आराजी के विशिष्ट–भू–भाग को खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। यदि

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में नही की जा सकेगी व वादी के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। जिससे वादी स्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार की पाने के मुश्तहक है कि मुतनाजा खसरान की जमीन मे वादी के बंट की भूमि मे वादी के काश्त व कब्जा में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 किसी भी प्रकार की दखल व दस्तअंदाजी न तो स्वयं करे, न ही किसी अन्य से करवावें। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार मेड़ता भूमिधारी व प्रतिवादी संख्या 4 राजस्व रेकर्ड संधारक होने से आवश्यक पक्षकार है। इसलिये इनको पक्षकार बनाया गया है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 10 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा माईदण्ड कलां की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074, खाता संख्या 4 की प्रति पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री अयुब खां कायमखानी ने वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 बाजवूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 09.12.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है तथा इकबालिया जवाब पेश कर दावे की ताईद की। अतः माफिक राजीनामा व इकबालिया जवाबदावा, दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा वादी का वाद निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

6.(क) वादी बुधाराम के बंट में :– मौजा ग्राम माईदण्ड कलां की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा, नम्बर 4 रकबा 3.02 हैक्टेयर में से खसरा नम्बर 4 रकबा 1.00 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ख) प्रतिवादीनी संख्या 1 सरोज देवी के बंट में :– मौजा ग्राम माईदण्ड कलां की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 4 रकबा 3.02 हैक्टेयर में से खसरा नम्बर 112/4 रकबा 1.01 हैक्टेयर बीच की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 पन्ने खां के बंट में :– मौजा ग्राम माईदण्ड कलां की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 4 रकबा 3.02 हैक्टेयर में से खसरा नम्बर 113/4 रकबा 1.01 हैक्टेयर उत्तरी तरफ की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(के.आर. चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2020.02.04 12:58:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: